न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 278/2024
अनवान : –

1. कपिश कुमार शर्मा पुत्र पुत्र पवन कुमार जाति ब्राह्मण निवासी सिरसा तहसील व जिला सिरसा।
2. अरूण पुत्र गोविन्द कुमार जाति ब्राह्मण निवासी सैक्टर नं. 4 रेवाड़ी तहसील रेवाड़ी (हरियाणा)।
3. सोरभ भारद्वाज पुत्र बाबुलाल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी सिरसा तहसील व जिला सिंरसा।

– **वादीगण**

बनाम्

1. सावत्री पत्नी मदनलाल (पुत्री रामलाल) जाति ब्राहमण निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. पवन कुमार पुत्र रामलाल जाति ब्राहमण निवासी फेफाना तहसील नोहर।
3. गोविन्द कुमार शर्मा पुत्र रामलाल जाति ब्राहमण निवासी सैक्टर न0 4 रेवाड़ी तहसील रेवाड़ी (हरियाणा)।
4. बाबुलाल शर्मा पुत्र रामलाल जाति ब्राहमण निवासी सिरसा तहसील व जिला सिरसा।
5. विद्या पुत्री पवन कुमार जाति ब्राहमण निवासी सिरसा तहसील व जिला सिरसा।
6. दिव्या शर्मा पुत्री गोविन्द कुमार शर्मा जाति ब्राहमण निवासी सैक्टर न0 4 रेवाड़ी तहसील रेवाड़ी (हरियाणा)।
7. ईशा रानी पुत्री बाबुलाल जाति ब्राहमण निवासी सिरसा तहसील व जिला सिरसा।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 07/06/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 4 केएनएन तहसील नोहर के खाता संख्या 104/103 की कुल 8.3490 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि वादीगण की बुआ की खातेदारी कृषि भूमि है तथा बुआ सावित्री देवी पत्नी संतलाल के कोई संतान नही होने के कारण से प्रतिवादीया संख्या 1 ने उक्त भूमि में अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा अपने भतीजों के पक्ष में परित्याग कर दिया है इसके बदले में वादीगण के दादा ने नोहरिया बाजार सिरसा में स्थित मकान प्रतिवादीया संख्या 1 को दे दिया है। प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 7 ने भी उक्त वाद भूमि में से अपना समस्त हक हिस्सा अपने पुत्र/भाईयों के पक्ष में परित्याग कर शून्य कर दिया है। हक त्याग वाद भूमि पर वादीगण बहिब काबिज है। जिसकी वादीगण न्यायालय से घोषणा करवा पाने के अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:49:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादीगण ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादीगण के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 7 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 8 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये। पक्षकारान द्वारा राजीनामा पेश किया गया जो की शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीगण की बुआ की खातेदारी कृषि भूमि है तथा बुआ सावित्री देवी पत्नी संतलाल के कोई संतान नही होने के कारण से प्रतिवादीया संख्या 1 ने उक्त भूमि में अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा अपने भतीजों के पक्ष में परित्याग कर दिया है इसके बदले में वादीगण के दादा ने नोहरिया बाजार सिरसा में स्थित मकान प्रतिवादीया संख्या 1 को दे दिया है। प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 7 ने भी उक्त वाद भूमि में से अपना समस्त हक हिस्सा अपने पुत्र/भाईयों के पक्ष में परित्याग कर शुन्य कर लिया है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादीगण बहिब काबिज है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादीगण ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 4 केएनएन तहसील नोहर के खाता संख्या 104/103 की कुल 8.3490 है० भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उभयपक्ष ने उक्त वाद भूमि हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:49:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

कृषि भूमि होना जाहिर किया है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं सजरा खानदान के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 ने अपना हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 4 केएनएन तहसील नोहर के खाता संख्या 104/103 की कुल 8.3490 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण संख्या 1 ता 3 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07/06/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:49:20 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 278 / 2024

अनवान : –

1. कपिश कुमार शर्मा पुत्र पुत्र पवन कुमार जाति ब्राह्मण निवासी सिरसा तहसील व जिला सिरसा।
2. अरूण पुत्र गोविन्द कुमार जाति ब्राह्मण निवासी सैक्टर नं. 4 रेवाड़ी तहसील रेवाड़ी (हरियाणा)।
3. सोरभ भारद्वाज पुत्र बाबुलाल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी सिरसा तहसील व जिला सिंरसा।

– वादीगण

बनाम्

1. सावत्री पत्नी मदनलाल (पुत्री रामलाल) जाति ब्राहमण निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. पवन कुमार पुत्र रामलाल जाति ब्राहमण निवासी फेफाना तहसील नोहर।
3. गोविन्द कुमार शर्मा पुत्र रामलाल जाति ब्राहमण निवासी सैक्टर न0 4 रेवाड़ी तहसील रेवाड़ी (हरियाणा)।
4. बाबुलाल शर्मा पुत्र रामलाल जाति ब्राहमण निवासी सिरसा तहसील व जिला सिरसा।
5. विद्या पुत्री पवन कुमार जाति ब्राहमण निवासी सिरसा तहसील व जिला सिरसा।
6. दिव्या शर्मा पुत्री गोविन्द कुमार शर्मा जाति ब्राहमण निवासी सैक्टर न0 4 रेवाड़ी तहसील रेवाड़ी (हरियाणा)।
7. ईशा रानी पुत्री बाबुलाल जाति ब्राहमण निवासी सिरसा तहसील व जिला सिरसा।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 278 सन 2024 निर्णय दिनांक –07/06/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीगण श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 4 केएनएन तहसील नोहर के खाता संख्या 104 / 103 की कुल 8.3490 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण संख्या 1 ता 3 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500 /– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 07/06/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:49:20 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर